IIT धनबाद मामला
Result Mitra

क्या है मामला-

- आवेदक अतुल कुमार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले के एक गरीब परिवार से हैं और अनुसूचित जाति वर्ग से है।
- आवेदक ने आईआईटी धनबाद में प्रवेश के लिए क्वालिफाई किया था।
- आवेदक संस्थान द्वारा तय की गयी समय-सीमा तक फीस (17,500) जमा करने से चूक गया। और इस कारण युवक को प्रवेश नहीं मिल पाया।

- अतुल कुमार के माता-पिता ने IIT की सीट बचाने के लिए सभी संबंधित विकल्पों का प्रयोग किया और अन्त में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
- सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए IIT धनबाद को छात्र के प्रवेश का निर्देश दिया।
- निर्णय- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला, और जस्टिस, मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्णय दिया
- हम इतने प्रतिभाशाली युवक को अवसर से वंचित नहीं कर सकते।

- IIT धनबाद को आदेश दिया कि वे युवक को उसी बैच में प्रवेश दिया जाए, जिसमें वह समय-सीमा के अन्दर फीस जमा करने से चूक गया था।
- अनुच्छेद 142 भाग 5 (संघ) - अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका
- सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के क्रियान्वयन के दौरान ऐसा हुक्म जारी कर सकता है, या आदेश दे सकता है, जो कि समक्ष लेकिन मामलों में पूर्व न्याय के लिए आवश्यक हो।
- सुप्रीम कोर्ट मौजूदा कानूनों या विधि के दायरे से परे जाकर न्यायिक हस्तक्षेप कर सकता है।

- सुप्रीम कोर्ट की विवेकीय शक्ति प्रदान करता है।
- जिस मामले में कोई कानून नहीं बना हो, एससी, एक्ट 142 का प्रयोग करने उन मामलों पर अपना फैसला दे सकता है-
- अनुच्छेद 142 के तहत विभिन्न न्यायिक निर्णय
- चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए हुए चुनाव के नतीजे पलट दिए।

Result Mitra

- यूनियन कार्बाइड बनाम भारत संघवाद - भोपाल गैस आपदा से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए मुआवजा देने का आदेश-
- बाबरी मस्जिद मामला
- कोयला प्लान आवंटन मामला
- हाइवे पर शराब बिक्री पर रोक
- मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रमुख सचिव मामला